[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर

[illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 47/2023

जीसीएमएस न. 2023/74)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक 28.05.2024

जगनी उर्फ जगनदेई बनाम ज्ञानसिंह वगै0

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.व मुकदमे जगनी उर्फ जगनदेई बनाम ज्ञानसिंह वगै0**

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादिनी ने दावांतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आरटीए के तहत पेश किया है जो गलत किया है। दावा में जो वर्णित विवादित आराजी मद संख्या 2 में की है उक्त आराजी के संबंध में वादिनी ने इस दावा से पूर्ण एक दावा उनवानी जगनी वगै0 बनाम ज्ञानसिंह वगै0 पेश किया था पूर्व में पेश किए गए दावा में यही आराजी व यही पक्षकार थे तथा इन्हीं धाराओं के तहत समान रिलीफ बाबत् पेश किया था जो दिनांक 24.08.2016 न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त तथ्यों को छुपाते हुए वादिनी ने उसी आराजी बाबत् तथा समान रिलीफ मांगते हुए इन्हीं धाराओं के तहत इन्ही पक्षकारों के विरूद्ध पुनः दावा पेश किया गया जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं है तथा विधि के विरूद्ध है तथा डिक्लेरेशन का दावा एक बार न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो उसी न्यायालय में समान आराजी को लेकर समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद बिन्दु को लेकर पुनः वाद पेश नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 के तहत जबाव पेश न कर सीधी बहस किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी द्वारा जो दावा 88, 89, 53 आरटीए का पेश किया है इसी आराजी को लेकर तथा समान पक्षकार एवं समान रिलीफ के मध्य पूर्व में दावा दिनांक 24.08.2016 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है जबकि 88 आरटीए का दावा पुनः दायर नहीं किया जा सकता। वादी को अगर पूर्ववर्ती दावे को चलाना होता तो दावे को नंबर पर लेकर कार्यवाही करते। वादी द्वारा दावा जो पेश किया है वह विधि व कानून के सम्मत नहीं है अतः दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी/वादी का तर्क है कि पूर्व में जो दावा खारिज हुआ है वह वकुलाय फरीकेन की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में किया है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अनुरूप नहीं है। इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों को अवलोकन किया तो पाया कि वादी जगनी उर्फ जगनदेई द्वारा दावा बाउनवानी जगनी बनाम ज्ञानसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 121/12 अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया था। उक्त पूर्ववर्ती दावे में पत्रावली पूर्व में साक्ष्यवादी में विचाराधीन थी जो वादी को पूर्व में कई अवसर देते हुए तथा न्यायहित में भी अवसर दिए जाने के बाबजूद भी साक्ष्य पेश नहीं किए एवं न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.08.2016 को वादी एवं उनकी प्रतिनिधि अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। उक्त पूर्ववर्ती दावे में वादी द्वारा वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित की गई आराजी पूर्ववर्ती वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangadhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बयाई जिला करौली

Scanned with OKEN Scanner

एवं वर्तमान न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र की समान आराजीयात है तथा समान ही पक्षकार है तथा वादी द्वारा समान ही अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त आराजीयात को लेकर पुनः न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जो विधि एवं कानून के विपरीत है लिहाजा प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 के तहत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावा वादी उनवानी जगनी उर्फ जगनदेई मुकदमा संख्या 47/23 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/5/24

(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner